

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1547/11-सी-FP/UP/Others/121957/2021, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 18, 2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:-

जनपद-मुजफ्फरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से राणा चौक (कि०मी० चैनेज 102.05 से 113.440), सुजडू चौक से राणा चौक (पी०डब्ल्यू० डी० कि०मी० चैनेज 3.000 से 0.000) व चरथावल मोड़ से पीनना बाईपास (पी०डब्ल्यू० डी० कि०मी० चैनेज 71.900 से 69.400) कुल लम्बाई 16.890 कि०मी० में 12" व 8" डायामेटर भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु 0.8445 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वाणिज्यिक प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०- FP/UP/Others/121957/2021

संदर्भ-

उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी०-108/81-2-2021-800(91)/2021 दिनांक-16.07.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर ने अपने पत्रांक-1248/14-10 दिनांक 09.11.2021 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1547/11-सी-FP/UP/Others/121957/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
- 3- श्री सोमिल गर्ग, एडीसन जनरल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लि०, नई दिल्ली।

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

oll